न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 350 सन 2022
अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र स्व मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. रेशमी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र स्वमीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर ।
3. सन्दीप पुत्र स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर ।
4. संतोष देवी पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुमित्रा पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर
6. सुमन पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
7. राजबाला पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. मदनलाल पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. रूपाराम पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर ।
10. सरोज पुत्री भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. रामूराम पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
12. सरोज पुत्री भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर
13. कृष्ण कुमार पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जेठी देवी पत्नी स्व श्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
15. गोरूराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
16. बन्नाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
17. रामकुमार पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
18. रूपराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
19. रतूदेवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
20. कलावती देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
21. गुडडीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
22. जयचन्द पुत्र स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
23. शारदा पुत्री स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
24. गोमती पुत्री स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
25. लालचन्द पुत्र स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
26. सुमन पुत्री स्व भवरी देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर
27. मन्जु पुत्री स्व भवरी देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर ।
28. राकेश कुमार पुत्र स्व भवरी देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर जिला हनुमानगढ।
29. द्रोपती पुत्री स्व भवरीदेवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 211/193 की कुल 7.4250हैक व खाता संख्या 334/319 की कुल 0.5950हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम बहिब से दर्ज है तथा खाता संख्या 207/189 की कुल 6.3250हैक भूमि मोहन पुत्र धना के नाम से दर्ज है ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र राजूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र राजूराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके वारिसान भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज हुई।

भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम का भी देहान्त हो चुका है धन्नाराम वल्द राजूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 धन्नाराम की पुत्रीया मृतक मीरा , मृतक भागी , व मोहनलाल की पत्नी है व प्रतिवादी संख्या 19 ता 29 मोहनलाल की पुत्र/पुत्री एव उनके वारिसान है व मृतक पुत्री भंवरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनलाल पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज धन्नाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान भागीदेवी व मोहनलाल के नाम से दर्ज हुई है धन्नाराम , भागीदेवी, मोहनलाल का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 29 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 211/193 की कुल 7.4250हैक व खाता संख्या 334/319 की कुल 0.5950हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम बहिब सें दर्ज है तथा खाता संख्या 207/189 की कुल 6.3250हैक भूमि मोहन पुत्र धना के नाम से दर्ज है ।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र राजूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पूर्वज धन्नाराम पुत्र राजूराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके वारिसान भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज हुई।

भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम का भी देहान्त हो चुका है धन्नाराम वल्द राजूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 धन्नाराम की पुत्रीया मृतक मीरा , मृतक भागी , व मोहनलाल की पत्नी है व प्रतिवादी संख्या 19 ता 29 मोहनलाल की पुत्र/पुत्री एव उनके वारिसान है व मृतक पुत्री भंवरी के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा एवं बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 211/193 की कुल 7.4250हैक्ट व खाता संख्या 334/319 की कुल 0.5950हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम बहिब सें दर्ज है तथा खाता संख्या 207/189 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि मोहन पुत्र धना के नाम से दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज धन्नाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके वारिसान भागीदेवी व मोहनलाल के नाम से दर्ज हुई है धन्नाराम, भागीदेवी, मोहनलाल का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 है जो वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को स्वीकार कर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 29 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 , 19 ता 29 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 15 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ,19 ता 29 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 29 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 207/189 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि मोहन पुत्र धना के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब के तथा खाता संख्या 211/193 की कुल 7.4250हैक्ट भूमि भागा पुत्री धन्नाराम व मोहनलाल पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब 6.2612हैक्ट एव प्रतिवादी संख्या 15 अकेला 1.1638हैक्ट भूमि व खाता संख्या 334/319 की कुल 0.5950हैक्ट भूमि भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ़)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र स्व मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रेशमी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सन्दीप पुत्र स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. संतोष देवी पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सुमित्रा पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. सुमन पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजबाला पुत्री स्व मीरा देवी पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. मदनलाल पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. रूपाराम पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सरोज पुत्री भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. रामूराम पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. सरोज पुत्री भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. कृष्ण कुमार पुत्र भागीदेवी पुत्री स्व धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. जेठी देवी पत्नी स्व श्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
15. गोरूराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
16. बन्नाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
17. रामकुमार पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
18. रूपराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
19. रतूदेवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
20. कलावती देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
21. गुडडीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
22. जयचन्द पुत्र स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
23. शारदा पुत्री स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
24. गोमती पुत्री स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर।
25. लालचन्द पुत्र स्व रामेश्वरलाल जाति मेघवाल निवारी सुरजनसर तह नोहर।
26. सुमन पुत्री स्व भवरी देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर जिला हनुमानगढ़।
27. मन्जु पुत्री स्व भवरी देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. राकेश कुमार पुत्र स्व भवरी देवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तह नोहर जिला हनुमानगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

29. द्रोपती पुत्री स्व भवरीदेवी पुत्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 350 सन 2022 निर्णय दिनांक– 15/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 207/189 की कुल 6.3250हैक भूमि मोहन पुत्र धना के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब के तथा खाता संख्या 211/193 की कुल 7.4250हैक भूमि भागा पुत्री धन्नाराम व मोहनलाल पुत्र धन्नाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब 6.26.2हैक एव प्रतिवादी संख्या 15 अकेला 1.1638हैक भूमि व खाता संख्या 334/319 की कुल 0.5950हैक भूमि भागीदेवी पुत्री धन्नाराम एव मोहनराम पुत्र धन्नाराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner